रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2010/चैत्र 8, 1932

No. 133] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2010/CHAITRA 8, 1932

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 212(अ).—केन्द्रीय सरकार, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 मार्च, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. एस.आर./एस. 9/जेड-14/2005]

डॉ. प्रवीर अस्थाना, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), the Central Government hereby appoints the 29th day of March, 2010, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. S.R./S.9/Z-14/2005]

Dr. PRAVEER ASTHANA, Scientist-'G'

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 213(अ).— केंद्रीय सरकार, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं--इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत हैं ;

(घ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव--(1) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के पास विज्ञान या इंजीनियरी में डॉक्टरेट की डिग्री होगी और डॉक्टरेट की डिग्री के पश्चात् मूल या अनुप्रयोजित अनुसंधान में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होगा तथा वे किसी प्रोफेसर से कम स्तर पर नहीं होंगे ।

(2) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (झ) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या अनुसंधान संस्थाओं के निदेशक या ऐसी संस्थाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के पद धारण कर रहे होंगे और किसी शीर्ष रैंकिंग के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर से अनिम्न पद धारण कर रहे होंगे और उनके पास विज्ञान और इंजीनियरी में डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए और डॉक्टरेट की डिग्री के पश्चात् वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

(3) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ञ) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के पास विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंधन की किसी शाखा में वृत्तिक डिग्री होगी, और उनके पास औद्योगिक अनुसंधान और विकास से संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव या पब्लिक, प्राइवेट या गैर-सरकारी सेक्टर से अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन परियोजनाओं या विज्ञान आधारित सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों में पांच वर्ष का अनुभव होगा ।

4. सदस्यों की पदावधि--बोर्ड के सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

5. सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते--(1) सरकारी सेवक से भिन्न बोर्ड का कोई सदस्य, उसके द्वारा बोर्ड की किसी बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए की गई किसी यात्रा की बाबत तत्समय प्रवृत्त केंद्रीय सरकार के पदधारियों को यथाअनुज्ञेय उच्चतम दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा ।

(2) बोर्ड के किसी कारबार में भाग लेने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा की गई किसी यात्रा की दशा में, उस सरकार के, जिसके अधीन ऐसा पदधारी नियोजित है, सुसंगत नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्ते बोर्ड द्वारा संदेय होंगे ।

(3) बोर्ड के किसी सदस्य को कोई यात्रा भत्ता तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब वह यह प्रमाणित कर देता है कि उसने उस यात्रा और ठहरने के संबंध में, जिसके लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं लिया है ।

(4) यात्रा भत्ता बोर्ड के सदस्य या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पदधारी के सामान्य गृह निवास से बैठक के स्थान तक, जहां ऐसा सदस्य या पदधारी बोर्ड के किसी कारबार में भाग लेने के लिए गया है और उसके निवास स्थान पर वापसी के लिए संदेय होगा :

परंतु जब यात्रा किसी अन्य स्थान से आरंभ होती है या उस पर वापसी यात्रा समाप्त होती है तो यात्रा भत्तों को उस रकम तक, जो उस समय संदेय होती यदि यात्रा सामान्य निवास स्थान से प्रारंभ या वहां समाप्त हुई होती, या वास्तव में की गई यात्रा के संबंध में संदेय रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बंधित किया जाएगा :

परंतु यह और कि विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष या सचिव, सदस्य के सामान्य निवास स्थान से भिन्न स्थानों से यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा ।

(5) बोर्ड या समिति के ऐसे सदस्य को, जो ऐसे किसी स्थान का निवासी है, जहां बोर्ड की बैठक हुई है या जहां बोर्ड के किसी अन्य कारबार का संव्यवहार किया गया है, ऊपर यथा अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के अतिरिक्त उसके द्वारा वाहन के संबंध में उपगत वास्तविक व्यय का भी संदाय किया जा सकेगा ।

6. बोर्ड की बैठकें--बोर्ड किसी वर्ष में कम से कम चार बार ऐसे समयों पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाएं, कारबार के संव्यवहार के लिए बैठकें करेगा ।

7. सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन--यदि बोर्ड के किसी सदस्य या उसके कुटुंब के किसी सदस्य का बोर्ड के विचार के लिए प्रस्तुत किए गए किसी प्रस्ताव में कोई हित है तो सदस्य प्रस्ताव में उसके हित की मात्रा अध्यक्ष को प्रकट करेगा ।

8. बोर्ड द्वारा विनिश्चय--बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष लाए गए सभी मामलों पर विनिश्चय आम सहमति से किया जाएगा और किसी मामले पर आम सहमति के न होने की दशा में अध्यक्ष का विनिश्चय अभिभावी होगा और ऐसे विनिश्चय को आम सहमति का विनिश्चय समझा जाएगा ।

9. कारबार का अभिलेख--(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में संव्यवहार किए गए कारबार का अभिलेख बोर्ड के सचिव द्वारा अध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदन के लिए तैयार किया जाएगा ।

(2) जब किसी कारबार का संव्यवहार कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किया जाता है तो सचिव इस प्रकार संव्यवहार किए गए कारबार का अभिलेख परिचालन का निदेश देने वाले बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए तैयार करेगा ।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में संव्यवहार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा और कारबार के अनुमोदित अभिलेख को बोर्ड को उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) बोर्ड या उसकी समितियों द्वारा संव्यवहार की गई कारबार की मदों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा ।

(5) अन्वेक्षा समिति के सुझाव, सिफारिशों और सलाह पर की गईं कार्रवाइयों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और उसे अन्वेक्षा समिति के अध्यक्ष की सलाह पर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में सरकार को संसूचित किया जाएगा ।

10. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य--(1) अध्यक्ष,--

(क) बोर्ड और बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों के समुचित कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ख) बोर्ड के विनिश्चयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसे अधीक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा, जो बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों ;

(घ) ऐसे अत्यावश्यक मामलों के संबंध में, जिनको बोर्ड द्वारा निपटान किए जाने तक रोका नहीं जा सकता, विनिश्चय करेगा और ऐसे विनिश्चयों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए उसकी आगामी बैठक में उसके समक्ष रखेगा ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष, किसी भी समय बोर्ड की बैठक, उस प्रयोजन के लिए बोर्ड के कम से कम चार सदस्यों के हस्ताक्षरों से उसे प्रस्तुत की गई अध्यपेक्षा पर, बुला सकेगा ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष, सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को बोर्ड की किसी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगा ।

11. अन्वेक्षा समिति का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि--(1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अन्वेक्षा समिति का गठन करेगा ।

(2) अन्वेक्षा समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

12. अन्वेक्षा समिति की बैठकें-- अन्वेक्षा समिति, वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समयों पर, जो अन्वेक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाएं, कारबार के संव्यवहार के लिए बैठकें करेगी ।

13. अन्वेक्षा समिति के सदस्यों के भत्ते--अन्वेक्षा समिति के सदस्यों के यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते और वाहन भत्ते उसी प्रकार होंगे, जो नियम 5 के अधीन सदस्यों को लागू हैं ।

14. समितियों का गठन--(1) बोर्ड ऐसी समिति या समितियां नियुक्त कर सकेगा, जो अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के अनुपालन के लिए वह आवश्यक समझे ।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड की सिफारिश पर, उपनियम (1) के अधीन गठित किसी समिति या समितियों में सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा ।

(3) बोर्ड, उपनियम (1) के अधीन गठित किसी समिति या समितियों के निर्देश-निबंधन, पदावधि, सदस्यता और अन्य संबंधित पहलूओं को अवधारित करेगा ।

(4) बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई समिति अनुबंधित अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट, निष्कर्ष या सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

15. आवेदन का प्ररूप--ऐसा कोई आवेदक, जो बोर्ड की निधि से वित्तीय सहायता लेने की वांछा करता है, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप क में बोर्ड को आवेदन करेगा ।

16. बजट, वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्ररूप--बोर्ड, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप ख में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट और प्ररूप ग में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर तक केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

17. नियमों का निर्वचन--जहां इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, वहां उस मामले को केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और मामले में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप-क

आवेदन का प्ररूप (परियोजना संरूप)

(नियम 15 देखें)

1- परियोजना का शीर्षक

2- विस्तृत विषय :

वायुमंडलीय विज्ञान

रासायनिक विज्ञान

भू विज्ञान

इंजीनियरी विज्ञान

जीवन विज्ञान

गणितीय विज्ञान

भौतिकीय विज्ञान

अन्य अन्तर्विषयात्मक विषय

3. अवधि, मास में

4. कुल लागत

5. एफ ई घटक

6. प्रधान अन्वेषक

7. पदनाम

8. विभाग

9. संस्थान का नाम

10. पता

11. जन्म की तारीख: लिंग (पुरुष/महिला)

12. टेलीफोन फैक्स ग्राम ई-मेल

13. सह-अन्वेषक

14. पदनाम

15. विभाग

16. संस्थान का नाम

17. पता

18. जन्म की तारीख: लिंग (पुरुष/महिला)

19. टेलीफोन फैक्स ग्राम ई-मेल

(अतिरिक्त सह-अन्वेषक, यदि कोई हों तो, 13 से 19 को दोहराएं, जैसे 13.1-19.1, 13.2-19.2........)

20. परियोजना सार (अधिकतम 150 शब्द)

21. मुख्य बातें (अधिकतम 6)

22. तकनीकी विवरण

परिचय (निम्नलिखित शीर्षों के अधीन)

22.1.1 प्रस्ताव का आरंभ

22.1.2 समस्या की परिभाषा

22.1.3 उद्देश्य

22.2. विषय में अनुसंधान तथा विकास की स्थिति की समीक्षा

22.2.1. अंतर्राष्ट्रीय प्रास्थिति

22.2.2. राष्ट्रीय प्रास्थिति

22.2.3. वर्तमान प्रास्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित परियोजना की नई बातें तथा महत्व

22.2.4. *यदि परियोजना स्थान विशिष्ट है तो स्थान के चयन का आधार।*

23. प्रस्तावित कार्य के लक्षित हिताधिकारी

24. परियोजना के विषय में प्रधान अन्वेषक (पी आई.), अन्वेषक दल और संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता की समीक्षा

25. पेटेन्ट संबंधी ब्योरे (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय), यदि लागू हो

26. पर्यावरणिक प्रभाव का मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण

27. प्रस्तावित प्रभाव मूल्यांकन

28. धारणीयता: पणधारी की वचनबद्धता, परियोजना के पूरा होने के पश्चात् परिसंपत्तियों का प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा अन्य संबंधित मामलों सहित धारणीयता से संबंधित मामले।

29. कार्य योजना

29.1. कार्यप्रणाली

29.2 *कार्य तत्वों का व्यवस्थापन*

29.3 महत्वपूर्ण परिणामों वाले कार्यकलापों की समय योजना (बार डायग्राम भी सलंग्न करें और इसे खण्ड 410 के रूप में चिन्हित करें)

29.4. क्या वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य (खण्ड 300-351 में उल्लिखित) एक दूसरे के अनुरूप हैं

29.5. परियोजना से *अपेक्षित शोध परिणाम के अनुप्रयोग के लिए कार्रवाई हेतु सुझायी गई योजना।*

30. परियोजना के विकास " परिणाम " तथा "निर्गत "

31. प्रस्तावित कार्य की आर्थिक विवक्षाएं, यदि कोई हो।

(32.) **बजट प्राक्कलन: सारांश**

	मद	**बजट**			**रू.में**
		प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**कुल**
क	आवर्ती				
	1. वेतन/पारिश्रमिक				
	2.उपभोज्य				
	3. यात्रा				
	4. अन्य लागत				
ख	उपस्कर				
	कुल योग (क + ख) कुल एफ ई सी*				

*** एफ ई सी– विदेशी विनिमय घटक**

विद्यमान दरों पर रूपए के बराबर विदेशी मुद्रा घटक (अमेरिकी डालर में) प्रस्तुत किए जाएं।

टिप्पणी: यहां की गई टिप्पणियों को खण्ड 310 से 350 में की गई टिप्पणी के सदृश होना चाहिए; खण्ड 311, 321, 331, 341 और 351 में प्रत्येक मद का औचित्य दिया जाए।

33. वेतन/पारिश्रमिक के लिए बजट

		बजट			(रू.में)
		प्रथम वर्ष (मानव मास *)	द्वितीय वर्ष (मानव मास)	तृतीय वर्ष (मानव मास)	कुल (मानव मास)
व्यक्तियों के पदनाम तथा संख्या	मासिक परिलब्धियां				
कुल					

*** बजट की रकम से पहले कोष्ठक में मानव मास दिए जाएं।**

34. मानवशक्ति की आवश्यकता का औचित्य

35. उपभोज्य सामग्रियों के लिए बजट

		बजट			(रू.में)
मद		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
	क्यू*				
	बी**				
	एफ***				
कुल	बी				
	एफ				

*क्यू: मात्रा अथवा संख्या बी ** बजट,*** एफ: अमेरिकी डॉलर में विदेशी विनिमय घटक

36. कीमती उपभोज्य सामग्रियों का औचित्य (यदि खंड 231 में उपलब्ध न कराया गया हो, अर्थात् कार्यप्रणाली)

37. यात्रा हेतु बजट

		बजट			(रू.में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
	(यात्रा केवल अर्न्तदेशीय यात्रा)				

38. निरंतर यात्रा , यदि कोई हो, का औचित्य

39. अन्य लागतों/आकस्मिकताओं के लिए बजट

		बजट			(रू.में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
	अन्य लागत/आकस्मिक लागत				

40. अन्य लागतों के अन्तर्गत विशिष्ट लागतों का औचित्य, यदि कोई हो ।

41. उपकरण के लिए बजट

क्रम सं.	निर्माण तथा मॉडल के साथ उपकरण का श्रेणीगत नाम	आयातित/देशीय	अनुमानित लागत(विदेशी मुद्रा में भी)*	अन्य प्रयोक्ताओं के लिए अतिरिक्त समय

* इसमें परिवहन, बीमा और अधिष्ठापन शुल्क शामिल है।

42. प्रस्तावित उपस्कर का औचित्य
43. लागत अनुमान की विश्वसनीयता
44. बार डायग्राम के माध्यम से कार्यकलापों की समय योजना
45. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मूल संस्थान (संस्थानों) द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की सूची।

(अ) अवसरंचनात्मक सुविधाएं:

क्रम सं.	अवसरंचनात्मक सुविधाएं	हां/नहीं/पूर्ण अथवा हिस्सेदारी आधार पर अपेक्षित नहीं
1.	कार्यशाला सुविधा	
2.	जल एवं विद्युत	
3.	प्रयोगशाला के लिए स्थान /फर्नीचर	
4.	विद्युत जेनरेटर	
5.	ए सी कक्ष अथवा ए सी	
6.	ई-मेल तथा फैक्स सहित दूर संचार	
7.	परिवहन	
8.	प्रशासनिक/सचिवालयी सहायता	
9.	सूचना सुविधाएं जैसे इंटरनेट/पुस्तकालय	
10	कंप्यूटेशनल सुविधाएं	
11.	पशु/ग्लास हाउस	
12.	उपलब्ध कराई जा रही कोई अन्य विशेष सुविधा	

(आ) परियोजना के लिए संस्थान/समूह/विभाग/अन्य संस्थानों में उपलब्ध उपकरण:

के साथ उपलब्ध उपकरण	उपकरण का श्रेणीगत नाम	मॉडल, निर्माण तथा खरीद का वर्ष	उपलब्ध सहायक उपकरणों तथा उपकरण के वर्तमान प्रयोगों सहित टिप्पणियां
पी आई और उसका दल			
पी आई का विभाग			
क्षेत्र के अन्य संस्थान			

46. अन्वेषक (अन्वेषकों)/ सह-अन्वेषक (सह - अन्वेषकों) का नाम, पता, जन्म की तारीख, संस्थान का पता आदि सहित विस्तृत जीवन वृत्त।

शैक्षणिक योग्यताएं (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय जहां से प्राप्त की गई, उत्तीर्ण होने का वर्ष, श्रेणी, थिसिस का शीर्षक आदि)

पेटेंट की सूची, यदि कोई हो

कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची

47. कार्यान्वित की जा रही/पूरी की गई/अन्वेषक (को)/सह-अन्वेषक (को) द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान परियोजनाओं का ब्योरा, अन्वेषक (कों) का नाम और संस्थान सहित

परियोजना का शीर्षक

परियोजना की प्रास्थिति:

पूरी की गई परियोजनाएं- अवधि (से .... तक..........), वित्तपोषण एजेंसी और कुल लागत

चल रही परियोजनाएं- समयावधि, आरंभ की तारीख, वित्तपोषण एजेंसी और कुल लागत प्रस्तावित-समयावधि, वित्तपोषण एजेंसी जहां प्रस्तुत की गई और कुल लागत

परियोजना का सार

<u>पूरी की गई परियोजनाओं</u> के लिए, परियोजना के प्रमुख परिणाम/ मुख्य-मुख्य बातें, उपलब्धियों (प्रकाशन, पेटेंट आदि) सहित

<u>चल रही परियोजनाओं</u> के लिए अद्यतन तकनीकी प्रगति रिपोर्ट।

48. अन्य कोई प्रासंगिक विषय।

प्ररूप ख

(नियम 16 देखें)

(भाग-I)

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड

बजट प्राक्कलन का कथन

योजना बजट (सभी आंकड़े लाख रू. में)

संशोधित बजट प्राक्कलन: (चालू वर्ष) और बजट प्राक्कलन: (आगामी वर्ष)

मद /शीर्ष	वास्तविक व्यय (पिछला वित्त वर्ष)	बजट प्राक्कलन (चालू वित्त वर्ष)	प्रस्तावित संशोधित प्राक्कलन (चालू वित्त वर्ष)	प्रस्तावित बजट प्राक्कलन (आगामी वित्त वर्ष
1. वेतन				
1.1 वेतन और भत्ते				
1.2 एन पी एस में योगदान				
1.3 सी पी एफ में योगदान				
1.4 एल टी सी				
1.5 चिकित्सा दावा				
1.6 ग्रैच्यूटी				
1.7				
2. कार्यालय व्यय				
2.1 स्टेशनरी				
2.2 टेलीफोन				
2.3 विद्युत				
2.4 जल.				
2.5 फर्नीचर की प्राप्ति				
2.6 वाहन				
2.7 रखरखाव				
2.8 इंटरनेट, ई-सेवा				
2.9				
3. गौण कार्य				
4. मुख्य कार्य				
5 घरेलू यात्रा				
6. विदेश यात्रा				
7. किराया, दर एवं कर				
8. दीर्घकालिक अग्रिम				
9. अन्य प्रशासनिक व्यय				
10. विज्ञापन एवं प्रचार				
11. प्रकाशन				
12.				
13.				
कुल				

(भाग-II)
विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड
प्राप्ति एवं व्यय (सभी आंकड़े लाख रू. में)
वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलनः (चालू वर्ष)

प्राप्ति

1. अथ शेष	
2. डी एस टी से अनुदान प्राप्ति	
3. अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्ति	
4. बैंक से प्राप्त ब्याज	
5. विविध प्राप्तियां	
अतिथिगृह	
लाइसेंस शुल्क	
पेटेंट एवं लॉयल्टी	
5.4 ------	
कुल	

1. पूंजीगत व्यय	
2. राजस्व व्यय	
कुल	

प्ररूप ग
(नियम 16 देखें)

वार्षिक रिपोर्ट का संरूप

संगठन

बोर्ड का गठन
विभिन्न समितियों का संगठनात्मक चार्ट और गठन
बोर्ड और अन्य समितियों की आयोजित बैठकें
विभिन्न समितियों के कार्यकलाप की रिपोर्ट

कार्यक्रम

सहायता प्रदत्त प्रमुख कार्यक्रम
प्रमुख स्कीमें और पहलें
निधिकृत बाह्य अनुसंधान परियोजनाएं/ कार्यक्रम
महत्वपूर्ण अनुसंधान की मुख्य – मुख्य बातें
सहायता प्रदत्त अध्येतावृत्तियां/ छात्रवृत्तियां
सहायता प्रदत्त सम्मेलन/ संगोष्ठी
अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम

निर्गत

परियोजनाओं से उद्भूत शोधपत्रों/ प्रकाशनों/ रिपोर्टों की संख्या
परियोजनाओं से उद्भूत प्रौद्योगिकियां/ उत्पाद

बजट एवं वित्त

लेखा – परीक्षित वित्तीय कथन

[फा. सं. एस.आर./एस. 9/जेड-14/2005]

डॉ. प्रवीर अस्थाना, वैज्ञानिक 'जी'

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 213(E).— In exercise of the powers conferred by section 20 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Science and Engineering Research Board Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009);

(b) "form" means the forms annexed to these rules;

(c) "section" means the section of the Act;

(d) all other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Qualifications and experience of the members of the Board.— (1) The members to be appointed under clause (h) of sub-section (3) of section 3 shall possess a doctorate degree

in science or engineering and shall have minimum ten years of experience in basic or applied research after doctorate degree and shall not be at a level lower than that of a Professor.

(2) The members to be appointed under clause (i) of sub-section (3) of section 3 shall be holding the post of Directors of the National Laboratories or Research Institutions or senior scientists in such institutions and shall be holding a position not lower than that of a Professor in a front-ranking national institution of higher learning and should possess a doctorate degree in sciences and engineering having at least ten years of experience in scientific research and development after the doctorate degree.

(3) The members to be appointed under clause (j) of sub-section (3) of section 3 shall possess professional degree in any branch of science or technology or management having minimum of ten years of professional experience in areas relating to industrial research and development or five years of experience in managing international projects or science-based socio-economic programmes from either public, private or non-governmental sector.

4. Term of office of the members.— The members of the Board shall hold office for a period of three years from the date of their appointment and shall be eligible for reappointment.

5. Travelling and Daily Allowances of the members.— (1) A member of the Board, other than a Government servant, shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the highest rates as admissible to the officials of the Central Government for the time being in force, in respect of any journey performed by him for the purpose of attending a meeting of the Board or for the purpose of discharging any duty assigned to him by the Board.

(2) In case of any journey performed by an official of the Central or the State Government to attend any business of the Board, the travelling and daily allowances admissible to him under the relevant rules of the Government under which such official is employed shall be payable by the Board.

(3) No travelling allowance or daily allowance shall be allowed to a member of the Board unless he certifies that he has not drawn any travelling or daily allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.

(4) The travelling allowance shall be payable from the usual place of residence of member of the Board or an official of the Central or the State Government to the place of the meeting where such member or official has gone to attend any business of the Board and back to his/her place of residence :

Provided that when the journey commences from or the return journey terminates at any other place, the travelling allowances shall be restricted to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place of residence, or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken, whichever is less:

Provided further that in special circumstances, the Chairperson or the Secretary may grant travelling allowance from places other than the usual place of residence of a member.

(5) A member of the Board or the Committee who is a resident at a place where the meeting of the Board is held or where any other business of the Board is transacted, may be paid the actual expenditure incurred on conveyance by him in addition to the daily allowance, as admissible above.

6. Meetings of the Board.— The Board shall meet at least four times in a year, at such times as may be appointed by the Chairperson, for the transaction of business.

7. Disclosure of interest by the members.— If any member of the Board or any of his family member has any interest in a proposal submitted for consideration of the Board, the member shall disclose to the Chairperson the extent of his interest in the proposal.

8. Decisions by the Board.— All matters brought before any meeting of the Board shall be decided by consensus and in the event of lack of consensus on any matter, the decision of the Chairperson shall prevail and such decision shall be deemed to be the consensus decision.

9. Record of business.— (1) The record of business transacted at every meeting of the Board shall be prepared by the Secretary of the Board, for approval by the Chairperson or the member presiding at such meeting.

(2) When any business is transacted by circulation of papers, the Secretary shall prepare a record of the business so transacted for approval by Chairperson of the Board directing the circulation.

(3) The record of business transacted at every meeting of the Board shall be approved and signed by the Chairperson or the member presiding at such meeting, and the approved record of business shall be submitted to the Board at its next meeting.

(4) A record shall be maintained by the Secretary of items of business transacted by the Board or the Committees thereof.

(5) A record of actions taken on the suggestions, recommendations and advice of the Oversight Committee shall be maintained by the Secretary and shall be communicated to the Government in every quarter of the year on the advice of the Chairperson of the Oversight Committee.

10. Powers and duties of the Chairperson.— (1) The Chairperson shall,—

(a) be responsible for the proper functioning of the Board and the Committees appointed by the Board;

(b) be responsible for implementation of the decisions of the Board;

(c) exercise such supervisory and administrative control over all officers and staff of the Board, as may be necessary, for efficient discharge of functions of the Board;

(d) take decision on urgent matters that cannot wait till disposal by the Board and such decisions shall be placed before the Board for its approval at its next meeting.

(2) The Chairperson of the Board may at any time call a meeting of the Board on a requisition for that purpose presented to him with the signatures of at least four members of the Board.

(3) The Chairperson of the Board may invite any expert in the relevant field to attend any meeting of the Board.

11. Constitution of the Oversight Committee and term of office of its members.— (1) With the prior approval of the Central Government, the Board shall constitute the Oversight Committee in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 5.

(2) The members of the Oversight Committee shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment.

12. Meetings of the Oversight Committee.— The Oversight Committee shall meet at least twice in a year at such time as may be appointed by the Chairperson of the Oversight Committee, for the transaction of business.

1120 GI/10-3

13. Allowances to members of the Oversight Committee.— The travelling allowance, daily allowance and conveyance allowance of the members of the Oversight Committee shall be the same as applicable to the members under rule 5.

14. Constitution of Committees.— (1) The Board may appoint such committee or committees as it deems necessary for discharge of its duties and performance of its function under the Act.

(2) The Chairperson may, on the recommendation of the Board, co-opt members to any Committee or Committees set up under sub-rule (1).

(3) The Board shall determine the terms of reference, tenure, membership and other related aspects of a Committee or the Committees set up under sub-rule (1).

(4) A Committee appointed by the Board shall submit its report, findings, or recommendations to the Chairperson of the Board within the period stipulated or such extended period as specified by the Board.

15. Form of application.— An applicant who is desirous to seek financial assistance from the Fund of the Board, shall apply to the Board in Form A appended to these rules.

16. Form for preparation of budget, annual report.— The Board shall prepare its budget for the next financial year in Form B, and its annual report in Form C, appended to these rules and shall submit the same to the Central Government by 31st October of every year.

17. Interpretation of rules.— Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government in the matter shall be final.

Form-A
Form of Application (Project Format)
(see rule 15)

1. Project Title

2. Broad Subject:
   Atmospheric Science
   Chemical Sciences
   Earth Sciences
   Engineering Sciences
   Life Sciences
   Mathematical Sciences
   Physical Sciences
   Other Interdisciplinary

3. Duration in months

4. Total cost

5. FE Component

6. Principal Inv.

7. Designation

8. Department

9. Institute Name

10. Address

11. Date of Birth: Sex (M/F)

12. Telephone Fax Gram e-mail

13. Co-Investigator

14. Designation

15. Department

16. Institute Name

17. Address

18. Date of Birth: Sex (M/F)

19. Telephone Fax Gram e-mail
(Repeat 13 to 19 for additional Co-Investigators, if any, as 13.1-19.1, 13.2-19.2,...)

20. Project summary (maximum 150 words)

21. Key words (maximum 6)

22. Technical details

22.1. Introduction (under the following heads)

22.1.1. Origin of the proposal

22.1.2. Definition of the problem

22.1.3. Objective

22.2. Review of status of Research and Development in the subject

22.2.1. International status

22.2.2. National status

22.2.3. Novelty and importance of the proposed project in the context of current status

22.2.4. If the project is location specific, basis for selection of location.

23. Target beneficiaries of the proposed work

24. Review of expertise available with the PI, the investigating group and institution in the subject of the project

25. Patent details (domestic and international), if applicable

26. Environmental impact assessment and risk analysis

27. Proposed impact assessment

28. Sustainability: Issues relating to sustainability, including stakeholder commitment, operation and maintenance of assets after project completion, and other related issues

29. Work plan

29.1. Methodology

29.2. Organization of work elements

29.3. Time schedule of activities giving milestones (also append to bar diagram and mark it as Section 410)

29.4. Do the physical and financial targets (given in Section 300-351) match with each other

29.5. Suggested plan of action for utilization of research outcome expected from the project.

30. The development "Outcomes" and "Outputs' of the project.

31. Economic implications of the proposed work, if any.

(32.) BUDGET ESTIMATES: SUMMARY

	Item	BUDGET			(in Rupees)
		1st Year	2nd Year	3rd Year	Total
A.	Recurring				
	1.Salaries/wages				
	2. Consumables				
	3. Travel				
	4. Other costs				
B.	Equipment				
	Grand total (A+B) Total FEC*				

**FEC- Foreign Exchange Component*

Foreign Exchange component (in US$) equivalent of rupee amount at the prevailing rates may be furnished.

N.B: Entries here should match with those given in section 310 to 350; justification for each item is to be given in Section following it that is section 311, 321, 331, 341 and 351.

33. BUDGET FOR SALARIES/WAGES

		BUDGET			(in Rupees)
		1st Year(m.m.*)	2nd Year (m.m.)	3rd Year (m.m.)	Total (m.m.)
Designation & number of persons	Monthly Emoluments				
Total					

*m.m.:man months to be given within brackets before the budget amount

34. Justification for the manpower requirement.

35. BUDGET FOR CONSUMABLE MATERIALS

		BUDGET			(in Rupees)
Item		1st Year	2nd Year	3rd Year	Total
	Q*				
	B**				
	F***				
Total	B				
	F				

*Q: Quantity or number, ** Budget, ***F: Foreign Exchange Component in US$

36. Justification for costly consumable (if not provided for in Section 231 i.e. Methodology)

37. BUDGET FOR TRAVEL

		BUDGET			(in Rupees)
		1st Year	2nd Year	3rd Year	Total
	Travel (Only inland travel)				

38. Justification for intensive travel, if any.

39. BUDGET FOR OTHER COSTS/CONTINGENCIES

		BUDGET			(in Rupees)
		1st Year	2nd Year	3rd Year	Total
	Other costs/Contingency costs				

40. Justification for specific costs under other costs, if any.

41. BUDGET FOR EQUIPMENT

Sl. No.	Generic name of the Equipment along with make & model	Imported/Indigenous	Estimated Costs (in Foreign Currency also)*	Spare time for other users (in %)

* includes transport, insurance and installation charges.

42. Justification for the proposed equipment.

43. Reliability of Cost Estimates.

44. Time Schedule of Activities through BAR Diagram

45. List of facilities being extended by parent institution(s) for the project implementation.

A) Infrastructural Facilities:

Sr. No.	Infrastructural Facility	Yes/No/ Not required Full or sharing basis
1.	Workshop Facility	
2.	Water & Electricity	
3.	Laboratory Space/ Furniture	
4.	Power Generator	
5.	AC Room or AC	
6.	Telecommunication including e-mail & fax	
7.	Transportation	
8.	Administrative/ Secretarial support	
9.	Information facilities like Internet/ Library	
10.	Computational facilities	
11.	Animal/ Glass House	
12.	Any other special faciity being provided	

B. Equipment available with the Institute/ Group/ Department/ Other Institutes for the project:

Equipment available with	Generic Name of Equipment	Model, Make & year of purchase	Remarks including accessories available and current usage of equipment
PI & his group			
PI's Department			
Other Inst In the region			

46. Detailed Bio-data of the Investigator(s)/Co-Investigator(s) including

Name, Address, Date of Birth, Institution's Address etc.

Academic Qualifications (University/College from where attained, year of passing, class, Thesis title etc.)

Publications list (Title of paper, authors, Journal details, pages, year etc.)

Patent list, if any

List of Projects implemented

47. Details of Research Projects being implemented/ completed/ submitted by the Investigator(s)/Co-Investigators including Investigator(s) Name & Institute

Project Title

Project Status:

Completed-duration, period (from.... to.....), funding agency and total cost
On-going-duration, date of start, funding agency and total cost
proposed-duration, funding agency where submitted and total cost

Summary of the project

Major Results/ Highlights of the project including achievement (publications, patents etc.); for *completed projects*

Up-to date Technical progress report for *on-going projects.*

48. Any other relevant matter.

Form B
(see rule 16)
(Part I)

SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD

Statement of Budget Estimates
PLAN BUDGET (All figures in Rs. lakh)

RE for the year: (current year) and BE for the year: (next year)

Item/Head	Actual Expenditure (last financial year)	B.E. (current financial year)	Proposed R.E. (current financial year)	Proposed B.E. (next financial year)
1. SALARY				
1.1 Pay and Allowances				
1.2 Contribution to NPS				
1.3 Contribution to CPF				
1.4 LTC				
1.5 Medical Claim				
1.6 Gratuity				
1.7				
2. OFFICE EXPENSES				
2.1 Stationery				
2.2 Telephone				
2.3 Electricity				
2.4 Water				
2.5 Procurement of furniture				
2.6 Vehicles				
2.7 Maintenance				
2.8 Internet, e-services				
2.9				
3. Minor Works				
4. Major Works				
5. Domestic Travel				
6. Foreign Travel				
7. Rent, Rates & Taxes				
8. Long Term Advances				
9. Other Administrative Expenses				
10. Advertisement & Publicity				
11. Publications				
12.				
13.				
TOTAL				

(Part II)
SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD
Receipts and Expenditure (All figures in Rs. lakh)

RE for the year : (current year)

Receipts

1. Opening balance	
2. Grants / Receipts from DST	
3. Grants / Receipts from other sources	
4. Interest from bank	
5. Miscellaneous Receipts	
5.1 Guest House	
5.2 License fees	
5.3 Patents and loyalties	
5.4 ------	
TOTAL	

Expenditure

1. Capital Expenditure	
2. Revenue Expenditure	
TOTAL	

Form C

(see rule 16)

FORMAT FOR ANNUAL REPORT

The Organization

Composition of the Board
Organizational Chart and composition of and various Committees
Meetings of Board and other Committees held
Reports on activities of various Committees

The Programmes

Major Programmes Supported
Major Schemes and Initiatives
Extramural Research Projects/Programmes funded
Important Research Highlights
Fellowships/Scholarships supported
Conferences/Seminars supported
International Programmes

The Output

Number of papers/publications/reports emanating out of projects
Technologies/products emanating out of projects

The Budget and Finance

Audited Financial Statements

[F. No. S.R./S.9/Z-14/2005]

Dr. PRAVEER ASTHANA, Scientist-'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.